<u>लोक सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 5558

02 अप्रैल, 2018 को उत्तर के लिए

इस्पात संयंत्रों में दुर्घटनाएं

5558. श्री बी.वी. नाईकः

श्री एस.पी. मुद्दाहनुमे गौड़ाः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश के विभिन्न इस्पात संयंत्रों में दुर्घटनाओं की संख्या का और ऐसी दुर्घटनाओं की प्रकृति का संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन दुर्घटनाओं में घायल/मारे गए लोगों की संख्या कितनी है और इसके परिणामस्वरूप संपत्ति की कुल कितनी हानि हुई है;

(ग) इन दुर्घटनाओं में घायल हुए और मारे गए लोगों के परिवारजनों को अदा की गई क्षतिपूर्ति की राशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) उपरोक्त अवधि के दौरान उन संयंत्रों और उपकरणों के रखरखाव पर औसत वार्षिक आय का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

<u>उत्तर</u>

इस्पात राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय)

(क) और (ख): देश में इस्पात निर्माण के दो केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसई) नामशः स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) हैं। गत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के सेल और आरआईएनएल में घातक और गैर-घातक दोनों दुर्घाटनाओं की संयंत्रवार और वर्ष-वार संख्या दर्शाने वाला एक विवरण **अनुलग्नक** के रूप में संलग्न है। इन संयंत्रों में दुर्घटनाएं ऊँचाई से गिरने, गिरने/मूविंग वस्तुओं द्वारा चोट लगने, गर्म धातु से जल जाने इत्यादि जैसे कारणों की

वजह से हुई हैं। इस अवधि के दौरान दुर्घटनाओं के कारण परिसंपत्ति की कोई महत्वपूर्ण हानि नहीं हुई है।

इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है। देश में बड़ी संख्या में इस्पात कारखाने/संयंत्र मौजूद है। जहाँ तक निजी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों का संबंध है, इस्पात मंत्रालय द्वारा ये अपेक्षित आंकड़े/सूचनाएं नहीं रखी जाती हैं।

(ग): नियमित कर्मचारियों की घातक दुर्घटनाओं के मामले में प्रतिपूर्ति कानून/कंपनी नीति के अनुसार प्रदान की जाती है। सेल और आरआईएनएल अपने कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति का भुगतान दि इम्पलोई कंपनसेशन एक्ट, एम्पलोई फैमिली बेनिफिट स्कीम और कंपनी नीति के अनुसार रोजगार से और रोजगार के दौरान हुई दुर्घटना के कारण मृत्यु/विकलांगता की दशा में करते हैं। संविदागत श्रमिक के मामले में प्रतिपूर्ति/आश्रित लाभ का भुगतान कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईएस) द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआईएस) के अंतर्गत किया जाता है। सेल और आरआईएनएल ने वर्ष 2015 से 2018 के दौरान घायल व्यक्तियों और मृत कर्मचारियों के परिवारों को प्रतिपूर्ति के रूप में कुल मिलाकर 2,89,29,180 रूपये का भुगतान किया है।

(घ): विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान सेल और आरआईएनएल के विभिन्न संयंत्रों के अनुरक्षण (उपस्करों के अनुरक्षण समेत) पर औसतन वार्षिक खर्च लगभग 6650 करोड़ रुपये और 1154 करोड़ रुपये क्रमशः हुआ था।

(ङ): सेल और आरआईएनएल दोनों ने इन घटनाओं को रोकने के लिए कई उपाय किये है। इन उपायों में अन्य के साथ-साथ अनुरक्षण अनुसूची का पालन करना, सुरक्षा प्रबंधन के प्रति प्रणालीगत दृष्टिकोण पर जोर देना, सुरक्षा पद्धतियों का कड़ाई से पालन, नियमित निरीक्षण, सुरक्षा जागरूकता पर अनिवार्य प्रशिक्षण और विशेष प्रशिक्षण, सुरक्षा ऑडिट करना, व्यक्तिगत सुरक्षा के उपस्करों का उपयोग करना और कारखाना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के मुताबिक तैयार आकस्मिक योजना का उपयुक्त क्रियान्वयन करना इत्यादि शामिल है।

*****

अनुलग्नक

(लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5558 दिनांक 02 अप्रैल 2018)

विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) के सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न इस्पात संयंत्रों और यूनिटों में हुई दुर्घटनाओं का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण (संयंत्रवार)

संयंत्र/यूनिट	**घातक दुर्घटनाएं (फैटलिटी)**				**अन्य सूचना योग्य दुर्घटनाएं (घातक दुर्घटनाओं को छोड़कर)**			
अवधि	**2015**	**2016**	**2017**	**2018 (फरवरी तक)**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018 (फरवरी तक)**
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)								
भिलाई इस्पात संयंत्र (छत्तीसगढ़)	3	3	2	0	13	3	9	0
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (पश्चिम बंगाल)	5	1	4	0	2	0	0	0
राउरकेला इस्पात संयंत्र (ओडिशा)	6	2	3	0	2	3	3	0
बोकारो इस्पात संयंत्र (झारखंड)	1	2	1	0	7	3	3	0
इस्को इस्पात संयंत्र (पश्चिम बंगाल)	0	1	6	0	8	1	3	1
अलॉय इस्पात संयंत्र (पश्चित बंगाल)	1	0	0	0	0	0	0	0
सेलम इस्पात संयंत्र (तमिलनाडु)	0	0	0	1	1	1	2	0
विश्वेश्वरैया लोहा और इस्पात संयंत्र (कर्नाटक)	0	0	0	0	3	3	0	0
चंद्रपुर फैरो अलॉय संयंत्र (महाराष्ट्र)	0	0	0	0	2	2	0	0
स्टॉक यार्ड	1	0	0	0	1	1	2	0
कच्चा माल प्रभाग (खान)(ओडिशा)	2	0	0	0	2	1	3	0
भिलाई माइंस (छत्तीसगढ़)	1	1	0	0	7	10	7	0
कोलरीज (झारखंड)	0	1	0	0	1	2	3	0
सेल रिफ्रेक्ट्री यूनिट (छत्तीसगढ़)	0	0	0	0	4	1	0	0
कुल (सेल)	**20**	**11**	**16**	**1**	**53**	**31**	**35**	**1**
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	**04**	**06**	**0**	**0**	**13**	**10**	**7**	**3**
सकल योग	**24**	**17**	**16**	**1**	**66**	**41**	**42**	**4**

******